न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V, हिलसा (नालंदा)।

पीठासीन पदाधिकारी :– संजीव कुमार राय

ए0बी0पी0– 483 / 2026

(हिलसा थाना कांड संख्या– 291 / 2026)

निता देवी एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार।

Date of Order	Order with the signature of the Court	Office action taken
17.06.2026	आवेदकगण 1. निता देवी 2. संगीता देवी 3. रंजन प्रसाद 4. शिवकुमार प्रसाद 5. वेचनी देवी 6. रितु रानी 7. दिवाकर प्रसाद 8. चन्दन प्रसाद 9. उपेन्द्र प्रसाद की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पत्र जो धारा– 126(2), 115(2), 351(2), 352, 303(2), 3(5) बी0 एन0 एस0 के तहत हिलसा थाना कांड संख्या– 291 / 2026 के संबंध में दाखिल किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में किसी भी प्रकार का अग्रिम या नियमित जमानत की अर्जी सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं की गई है और न लंबित है। आवेदकगण निर्दोष हैं तथा कोई घटना नहीं किए हैं। अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी झूठी, निराधार, मनगढ़ंत और बनावटी है तथा इसमें सच्चाई का एक अंश भी नहीं है। प्रार्थीगण घटना के समय घटनास्थल पर नहीं थे। प्रार्थीगण घटना के समय किसी आवश्यक कार्य से पटना गये थे। आवेदकगण 482(2) बी0एन0एस0एस0 के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध नहीं करते हैं। सुना। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि सत्येंद्र कुमार दिनांक 15.04.2026 दिन बुधवार को लगभग 8 बजे शाम दिल्ली से आया था। अपने गाँव नोनिया बिगहा कर्ज देने के लिए 20,000 (बीस हजार) रुपए लेकर आया था। अपना घर में प्रवेश किया। सुना कि शौचालय पर ईंट गिरा है, मेरे पत्नी, बच्चे घर में से बाहर निकाल कर देखा कि दिवाकर प्रसाद, चंदन प्रसाद दोनों मिलकर शौचालय पर ईंट फेंका तो मना करने पर गंदा गंदा गाली गलौज करने लगा और शिवकुमार प्रसाद सभी मिलकर नोनिया बिगहा गाँव में उसे घेर लिया उसके परिवार को दिवाकर, शिव कुमार प्रसाद, चंदन प्रसाद, रंजन प्रसाद के परिवार से दीवार सब मिलकर सोने का चैन था जो गला से खींच लिया लगभग एक भर का था। चंदन कुमार, दिवाकर, उपेंद्र, शिव कुमार एवं सभी का पत्नी नाम मालूम नहीं है सभी के परिवार मारपीट कर छीन लिया सत्येंद्र प्रसाद के बड़े भाई आवाज़ सुनकर आए तो उनको भी गाली गलौज देने लगा एवं मारपीट किया और धमकी दिया की आग लगाकर घर में जला देंगे। सुना। कांड दैनिकी एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि इस याचिका के पारा 3 के तहत आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण पर झगड़ा, मारपीट और चोरी का 'जेनरल एंड ओमनिबस' आरोप है। चोरी की धारा के अलावे अन्य सभी धाराएँ ज़मानतीय हैं। दोनों पक्षों की तरफ से केस किया गया है। अतः आवेदकों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को तद्नुसार **स्वीकृत** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अंदर आवेदकगण के गिरफ्तार होने या न्यायालय में आत्मसमर्पण किये जाने पर उसे	

लगातार...

10,000 रूपये के दो समान प्रतिभू के साथ बंध पत्र निष्पादित किये जाने पर न्यायालय की संतुष्टी पर जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

(लेखापित)

अपर सत्र न्यायाधीश–V,
हिलसा (नालंदा)।

Date of Order	17.06.2026
Date of Reserving Order	
Uploading date	27.06.2026
Uploaded by	MD GUFRAN (STENO GRAPHER)